राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 81/06–07

विषयः– श्री निर्मल कुमार गोयंका, ग्राम+पोस्ट–64/21, शारदा नगर, जिला–सीतामढ़ी का प्राप्त आवेदन–पत्र।

20.11.2006 आवेदक को पूरे तथ्य के साथ सुनवाई हेतु दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बुलावें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006 आवेदक उपस्थित थे। संबन्धित लोक सूचना पदाधिकारी (सचिव, बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर) से दिनांक 08.01.07 तक मंतव्य की मांग की जाय तथा सुनवाई हेतु दिनांक 10.01.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में रखा जाय ।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

10.01.2007 चूँकि प्रस्तुत मामला भी केस संख्या–78 के सदृश्य है और अपीलकर्त्ता भी वे ही (श्री निर्मल कुमार गोयंका) हैं, अतः केस सं0–78 में दिनांक–10.01.2007 को पारित आदेश इस केस सं0–86 में भी प्रभावी होंगें। सुनवाई की तिथि 12.02.2007 को 10:30 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की जाती है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

12.02.2007 सभी मामलों में आवेदक श्री निर्मल कुमार गोयंका हैं एवं वे सभी मामले बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से संबंधित है। अतः सभी मामलों को एकसाथ सूना गया। आयोग के दिनांक–10.01.07 के निर्देश के तहत कुलपति, कुलसचिव एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं। कुलसचिव द्वारा एक पत्र भी आयोग को दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 35 मामलों में से 32 मामलों में सूचना दे दी गयी है और बचे हुए 3 मामलों यथावाद संख्या–82, 198, 202 में बहुत जल्दी ही सूचना प्रदान कर दी जायेगी। वादी का कहना है कि सूचनाएँ उन्हें दी गयी है वे अपूर्ण, भ्रामक, मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः उन्होंने रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए समय की मांग की है। कुलपति एवं कुलसचिव की ओर से भी धारा–20 के तहत दी गयी नोटिस के जवाब में कारण–पृच्छा नहीं की गयी है। अतः उनकी ओर से भी समय की मांग की गयी है। दोनों ओर से सुनवाई के बाद आयोग इस निर्णय पर पहुँचती है कि एक और समय वादी को रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए दिया जाए और इस बीच कारण पृच्छा भी आयोग के समक्ष कुलपति एवं कुलसचिव की ओर से दायर किया जाए। वादी दिनांक–26.02.07 तक रिज्वाइन्डर फाइल करते हुए उसकी एक प्रति आयोग को दाखिल करें। उसी प्रकार कुलपति एवं कुलसचिव, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर भी कारणपृच्छा आयोग को दाखिल करें। वाद की अगली सुनवाई दिनांक–07.03.07 को 10.30 बजे पूर्वाह्न रखी जाती है। तबतक कुलपति एवं कुलसचिव निर्देश के पालन में वादी को बाकी सूचनाएँ भी प्रदान कर सकते हैं और उसकी एक प्रति आयोग को अगली तारीख को प्रदान कर सकते हैं। चूँकि यह आदेश सभी पक्षों के समक्ष पारित किया गया है, अतएव अलग से नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.03.2007 वादी उपस्थित हैं। प्रतिवादी कुलपति, कुलसचिव एवं बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अन्य दो पदाधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत वांछित कारण—पृच्छा भी समर्पित किया हैं, जिससे आयोग मंजूर करती है एवं धारा 20 (1) के अधीन दिए गये नोटिस से प्रतिवादी को वरी करती है।

वादी द्वारा मांगी गई सूचनाएं वर्ष 1982 के पूर्व की हैं । आयोग ने कुलसचिव को यह निर्देशित किया कि उनके द्वारा कही गई बातें लिखित रूप में वादी को दिनांक 09.03.2007 तक उपलब्ध करा दे तथा आयोग को भी इसकी सूचना दें ।

वाद को समाप्त किया जाता हैं।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त